रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2214] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2015/आश्विन 20, 1937
No. 2214] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2015/ASVINA 20, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली,12 अक्तूबर, 2015

(आय-कर)

का.आ. 2791(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80घघख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 11घघ में उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रोगों या व्याधियों के संबंध में, निम्नलिखित विशेषज्ञों द्वारा नुस्खा जारी किया जाएगा : —

(*क*) उपनियम (1) के खंड (*i*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी न्यूरोलोजिस्ट द्वारा, जिसके पास न्यूरोलोजी में डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) डिग्री या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(*ख*) उपनियम (1) के खंड (*ii*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी आंकोलोजिस्ट द्वारा, जिसके पास आंकोलोजी में डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) डिग्री या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(*ग*) उपनियम (1) के खंड (*iii*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी विशेषज्ञ द्वारा, जिसके पास साधारण या आंतरिक मेडिसिन में स्नात्तकोतर डिग्री या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(*घ*) उपनियम (1) के खंड (*iv*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी नेफ्रोलोजिस्ट द्वारा, जिसके पास नेफ्रोलोजी में डाक्टरेट आफ मेडिसिन (एम.डी.) की डिग्री हो या यूरोलोजिस्ट, जिसके पास यूरोलोजी में मास्टर आफ चाइरूरगेई (एम.सीएच) की डिग्री हो या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(ङ) उपनियम (1) के खंड (*v*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी विशेषज्ञ द्वारा, जिसके पास हेमेटोलोजी में डाक्टरेट आफ मेडिसिन (एम.डी.) या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो :

परन्तु जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रोगों या व्याधियों में से किसी के संबंध में रोगी सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है, वहां उस अस्पताल में पूर्णकालिक रूप में कार्यरत किसी विशेषज्ञ द्वारा, जिसके पास साधारण या आंतरिक मेडिसन में स्नातकोत्तर डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो, नुस्खा जारी किया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट नुस्खे में रोगी का नाम और आयु, नुस्खा जारी करने वाले विशेषज्ञ का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और अर्हता सहित रोग या व्याधि का नाम अंतर्विष्ट होगा :

परंतु जहां रोगी किसी सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है, वहां नुस्खे में सरकारी अस्पताल का नाम और पता भी अंतर्विष्ट होगा ।"।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट II में, प्ररूप 10झ का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 78/2015/ फा.सं. 142/20/2015-टी.पी.एल.]

आरजू गरोडिया, अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण :– मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अधिसूचना सं. का.आ. 2663 (अ), तारीख 29 अक्तूबर, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।